राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 681/2015/चुरू.

मैसर्स श्री इलेक्ट्रोनिक्स, मैन मार्केट, चुरू. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर बीकानेर.
2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, चुरू. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. गर्ग, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या प.4(70)कर/उपा–बी/14–15/449 में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.02.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया है।

2. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हें ना तो सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया एवं ना ही आदेश की प्रति तामील करवाई गई, इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी के धारा 34 के प्रार्थना–पत्र को एकपक्षीय खारिज किये जाने में विधिक त्रुटि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया।

3. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रशासनिक अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये, किन्तु अपीलार्थी ना तो स्वयं उपस्थित हुए एवं ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण आदेश व मांगपत्र की तामील दिनांक

लगातार.....2

21.07.2014 को ही करवा दी गयी थी जबकि धारा 34 में प्रार्थना–पत्र 30 दिवस गुजरने के पश्चात् पेश किया गया, जो अवधिपार है। यह भी कथन किया कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी व्यवहारी को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र एकतरफा खारिज किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. अपीलार्थी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, चुरू द्वारा एकपक्षीय पारित आदेश दिनांक 05.03.2014 को निरस्त कर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.01.2015 को प्रस्तुत किया गया था। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा धारा 34 के तहत प्रारूप–58 में प्रार्थना–पत्र 30 दिवस के बाद विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है क्यांकि मांगपत्र दिनांक 21.07.2014 को तामील था। पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वैट–58 में कर निर्धारण आदेश की प्राप्ति दिनांक 10.12.2014 को होना बताया है, यह सत्य है क्योंकि वाणिज्यिक कर अधिकारी ने आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि दिनांक 10.12.2014 को जारी की है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रशासनिक अधिकारी का यह कथन गलत है कि मांगपत्र दिनांक 21.07.2014 को तामील करवाया है क्योंकि पत्रावली के पृष्ठ 5 पर उपलब्ध मांग–पत्र वैट–17 पर noted कर 21.07.2014 अंकित है वह एक छायाप्रति है किसी के हस्ताक्षर इस पर नहीं हैं एवं पृष्ठ संख्या 3 व 4 दोनों ही मूल मांग–पत्र वैट–17 की दोनों प्रतियां पत्रावली पर उपलब्ध है। इससे प्रकट है कि सहायक आयुक्त ने दिनांक 10.12.2014 को प्रथम बार आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि तामील करायी है। इससे प्रतीत होता है कि प्रशासनिक अधिकारी ने पत्रावली का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण ही नहीं किया, जबकि धारा 34 में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र समयावधि में था, अतः इस गलत आधार पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है।

लगातार.....3

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने नोटिस देने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही नहीं किया एवं बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा आदेश पारित किया जो अविधिक है अतः एकपक्षीय पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.03.2014 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अपीलार्थी दिनांक 20.02.2018 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य